न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 78/2018

प्रार्थीगण –

1. गीता पत्नि सोहनलाल जाट निवासी–पातेली तहसील–जायल(नागौर)
2. इस्माईल पुत्र जवरूदीन जाति लुहार(मुस्लमान) निवासी–पातेली (फौत)
   2/1. निसार पुत्र इस्माईल
   2/2. सबीर पुत्र इस्माईल
   2/3. शुगरा बैवा इस्माईल
   2/4. रसिदा पुत्री इस्माईल
   कौम लुहार (मुसलमान) तहसील–जायल जिला–नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. मनोज कुमार पुत्र श्रीनिवास कौम–ब्राहमण निवासी–पातेली तहसील–जायल
2. कमलकिशोर पुत्र श्रीनिवास कौम–ब्राहमण निवासी–पातेली तहसील–जायल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 परफोर्मा पक्षकार।

दिनांक : 12/8/2024

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 194, 339/194 मौजा पातेली तहसील–जायल में स्थित है। खेत खसरा नं. 339/194 प्रार्थीनी गीता ने प्रार्थी संख्या 2 से खरीदा है। खसरा नं. 194 के उतरी तरफ एवं खसरा नं. 339/194 के दक्षिणी तरफ खेत के पक्की दीवार निकली हुई है। उक्त दोनो खेतों के पश्चिमी तरफ डामर सड़क है जो 30–40 वर्ष से रहती आई है। उक्त सड़क 3 बार डामर से उसी जगह बनी हुई है। खसरा नं.

12/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

194 व 339/194 के पश्चिमी तरफ डामर सड़क को छोड़कर खसरा नं. 93 रकबा 8.11 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी का खेत स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण धन बल व राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है तथा हमारे खेत की बनी दीवार को तोड़कर खेत खसरा नं. 194 व 339/194 पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है, तथा धमकियां भी दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपार नुक्सान होगा। मुतदाविया खेताय की भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है जिससे मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में कब्जा करके प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो जायेगें तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खसरा नं. 339/194 व 194 पर किसी प्रकार कब्जा, हस्तक्षेप नही करने तथ अप्रार्थी संख्या 3 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 का सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होकर शामिल मिसल है, जो कि केवल परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता ने दस्तावेजात् सूची फार्म नं. 3 के सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2020 की प्रतिलिपि पेश की। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार है –

1. बिन्दू ए को मुश्तकिल बिन्दू मानकर ए से बी तक जरीब चलाई तो ए से बी दूरी 102 गठ्ठा, बिन्दू बी से सी की लम्बाई 16 गठ्ठा है।
2. मौके पर खसरा नं. 93 की दक्षिणी सीमा 9.5 गठ्ठा है। बिन्दू बी –जे की लम्बाई 9.5 गठ्ठा है।
3. बिन्दू बी से डी तक की लम्बाई नक्शानुसार 92 गठ्ठा है तथा मौकानुसार भी 92 गठठा है।
4. बिन्दू डी से ई तक की लम्बाई 11.0 गठठा तथा बिन्दू ई से एफ तक लम्बाई 14 गठठा है परन्तु मौके पर ई, एफ, जी के बीच का रकबा खसरा नं. 91 के सामिल किया हुआ है तथा ई–जी नक्शानुसार 6 गठठा तथा मौकानुसार बिन्दू एफ जी की लम्बाई 11 गठठा है।
5. बिन्दू एफ से एच की लम्बाई नक्शानुसार 26 है, जो मौकाअनुसार भी 26 गठठा है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

6. बिन्दू डी से आई तक की सीधी दूरी नक्शानुसार 46 गठठा है परन्तु मौकानुसार 42 गठठा प्राप्त होती है।
7. बिन्दू सी से के नक्शानुसार 5 गठठा है मौके पर सी से के पर खसरा नं. 339/194 की चारदीवारी बनी हुई है जो खसरा नं. 182 गैर मुमकिन रास्ता में है।

इसी प्रकार मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 93 से ग्राम बोड़वा से पातेली तरफ सड़क बनी हुई तथा डामरीकरण किया है, तथा रेडमार्क स्थान पर गिटटी डाली हुई तथा सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा गिटटी डालकर कार्य खसरा नं. 93 में किया गया है।

प्रकरण हाजा के जवाब/बहस में विचाराधीन रहते प्रार्थी संख्या 2 के फौत हो जाने वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी मय संशोधन शिर्षक पेश किया जिसपर वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अनाप्ति जाहिर की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण वास्ते जवाब/बहस हेतु नियत किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर केवल फार्म नं. 3 के संलग्न दस्तावेज पेश किये तथा सीधे बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण में बहस हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

4. बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेद्दन किया प्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 194, 339/194 मौजा पातेली तहसील–जायल में स्थित है जिसमें खेत खसरा नं. 339/194 प्रार्थीनी गीता ने प्रार्थी संख्या 2 से खरीदा है। उक्त खेताय के पक्की दीवार निकली हुई है। उक्त दोनो खेतों के पश्चिमी तरफ डामर सड़क है जो 30–40 वर्ष से रहती आई है तथा उक्त सड़क 3 बार डामर से उसी जगह वापस बनाई गई है। उक्त खेताय के पश्चिमी तरफ डामर सड़क को छोड़कर खसरा नं. 93 रकबा 8.11 बीघा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी का खेत स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण धन बल व राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है तथा हमारे खेत की बनी दीवार को तोड़कर खेत खसरा नं. 194 व 339/194 पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमादा है, तथा धमकियां भी दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपार नुक्सान होगा। मुतदाविया खेताय की भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का है जिससे मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीगण के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में कब्जा करके प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो जायेगें तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खसरा नं. 339 / 194 व 194 पर किसी प्रकार कब्जा, हस्तक्षेप नही करने तथ अप्रार्थी संख्या 3 को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ताफैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खाता संख्या 182 गैर मुमकिन रास्ता है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा दिवार का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है तथा दीवार टूटे नहीं इसलिए अतिक्रमण को बचाने के लिए तथ्यों को छुपाकर अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जो कि गलत है। चूंकि प्रार्थीगण न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आये है तथा प्रार्थीगण की सीमाज्ञान के संबंध में दुबारा रिपोर्ट मंगवाने का औचित्य नहीं है। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी सारहीन, गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

यह आदेश आज दिनांक 12/8/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

12/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

Scanned with CamScanner